

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(राजभाषा)

प्रेषक,

एस० एम० परवेज़ आलम,
निदेशक

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी।

पटना, दिनांक- 03-10-25

विषय:- राज्य की अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ विशेष अंगीभूत योजना, (2025-26) के तहत निबंध एवं वाद-विवाद प्रतियोगिता के विषय उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय/महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि राज्य की अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ विशेष अंगीभूत योजना, 2025-26 के अधीन माध्यमिक कक्षाओं के अनुसूचित जाति के प्रतिभागी छात्र/छात्राओं के लिए निबंध प्रतियोगिता हेतु निम्नलिखित विषयों का निर्धारण किया जाता है-

1. स्त्री शिक्षा
2. महिला उत्पीड़न एवं निदान
3. इमानदारी : एक सर्वोत्तम नीति
4. लोकतंत्र का महत्व
5. बढ़ता बिहार : समृद्धि का आधार

साथ ही साथ वाद-विवाद प्रतियोगिता के लिए निम्नलिखित विषयों का निर्धारण किया जाता है:-

1. शहरी जीवन बनाम ग्रामीण जीवन
2. संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी
3. स्मार्ट फोन - वरदान या अभिशाप
4. क्या कृत्रिम बुद्धि के विकास से मानवता को मदद मिलेगी?
5. बिहार में खेलकूद के नये अवसर

अतः इस संबंध में इसके अनुरूप अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय। शेष सभी नियम व शर्तें प्रेषित मार्गदर्शिका के अनुसार होंगी।

विश्वासभाजन

(एस० एम० परवेज़ आलम)

निदेशक

ज्ञाप संख्या- प्र०-प्र०-01/2005 895 /रा०, पटना, दिनांक 03-10-25

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए दी जाती है।

(एस० एम० परवेज़ आलम)

निदेशक

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(राजभाषा)

राज्य की अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ विशेष अंगीभूत योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में
जिला स्तर पर निबंध तथा वाद-विवाद प्रतियोगिता के आयोजन हेतु
मार्गदर्शिका

उद्देश्य:- हिन्दी इस राज्य की राजभाषा है। अतः सरकार चाहती है कि राजभाषा हिन्दी के प्रति बिहार की नई पीढ़ी में अनुराग उत्पन्न करने के साथ-साथ उसकी सृजनात्मक प्रतिभा (Creative Talent) को भी प्रोत्साहित किया जाय। उक्त क्रम में राज्य के माध्यमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए जिला स्तर पर निबंध एवं वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रोत्साहन योजनाएँ निम्नवत् हैं :-

1. जिला स्तर पर राजभाषा निबंध प्रतियोगिता पुरस्कार

(क) पुरस्कार की संख्या एवं राशि :-

1. प्रथम पुरस्कार	₹5,000 / - (पाँच हजार सौ रुपये)
2. द्वितीय पुरस्कार	₹4,000 / - (चार हजार रुपये)
3. तृतीय पुरस्कार	₹3,000 / - (तीन हजार रुपये)
4. सात्वना पुरस्कार	₹30,000 / - (12x2500) = ₹30,000 (तीस हजार रुपये)
पुरस्करणीय राशि -	₹42,000 / - (बयालीस हजार रुपये)
प्रतियोगी छात्राओं/छात्रों के मार्ग व्यय हेतु राशि	₹7,500 (25x200+25x100) = ₹7,500 (सात हजार पाँच सौ रुपये)
प्रतियोगिता आयोजन हेतु प्रतियोगी छात्राओं/छात्रों सहित स्टेशनरी आदि के क्रय हेतु निर्धारित राशि	₹2,500 / - (दो हजार पाँच सौ रुपये)
प्रतियोगी छात्राओं/छात्र के अल्पाहार हेतु राशि	₹7,500 / - (50x150) = ₹7,500 (सात हजार पाँच सौ रुपये)
निर्णायक मंडल को देय मानदेय की राशि	₹1,500 / - (500x3) = ₹1,500 (एक हजार पाँच सौ रुपये)
उनके अल्पाहार हेतु राशि	₹450 / - (150x3) = ₹450 (चार सौ पचास रुपये)
आयोजन (स्थल की साफ-सफाई आदि) व्यय	₹1,050 / - (एक हजार पचास रुपये)
कुल	₹62,500 / - (बासठ हजार पाँच रुपये)

इस योजना के लिए कुल राशि, 62,500 / - (बासठ हजार पाँच सौ) रुपये निर्धारित है, जिसके द्वारा पन्द्रह मेधावी छात्राओं/छात्रों को पुरस्कार स्वरूप 42,000 रुपये दिये जाने हैं तथा कुल पुरस्कार राशि में से ही 7,500 / - (सात हजार पाँच सौ रुपये) प्रतिभागी छात्राओं/छात्रों के मार्ग व्यय के लिए, छात्राओं/छात्र के अल्पाहार के लिए ₹7,500 / -, सभी प्रतिभागियों को कागज-कलम देने के लिए ₹2500 / -, निर्णायक मंडल का मानदेय एवं अल्पाहार के लिए ₹1,950 / - तथा आयोजन स्थल की साफ-सफाई आदि हेतु ₹1050 / - निर्धारित किए गए हैं।

(ख) पुरस्कार चयन की प्रक्रिया:-

जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अपने-अपने जिले के माध्यमिक स्तर के सभी सरकारी विद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र अथवा विज्ञापन द्वारा इस पुरस्कार योजना की जानकारी देंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि वे अपने-अपने विद्यालय के अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को 15 दिसम्बर, 2025 तक सरकार द्वारा निर्धारित विषय पर निबंध प्रतियोगिता में (कुल 50 छात्राओं/छात्रों को) जिला मुख्यालय में शामिल होने हेतु उपस्थित करना सुनिश्चित करें। प्रतियोगिता में शहर तथा कस्बाई इलाकों के 25 एवं ग्रामीण क्षेत्र के 25 बच्चों को शामिल होना है। शहरी/कस्बाई क्षेत्र के छात्राओं/छात्र को 100 रुपये मार्ग व्यय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के छात्राओं/छात्र को 200 रुपये मार्ग व्यय दिया जायेगा। सभी प्रतिभागियों को कागज-कलम देने हेतु ₹2500 / - (दो हजार पाँच सौ रुपये) निर्धारित है। प्रतियोगिता का आयोजन 15 दिसम्बर, 2025 तक किया जाना है। प्रतिभागियों उत्तर पुस्तिकाएँ त्रिस्तरीय समिति द्वारा जाँच कराकर प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा 12 सात्वना पुरस्कार सहित कुल 15 पुरस्कारों हेतु चयनित करना सुनिश्चित करें।

पुरस्कार विजेताओं के चयन के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थानीय हिन्दी विद्वानों का एक चयन समिति गठित करेंगे, जिसके सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित न्यूनतम तीन होगी। चयन समिति के अध्यक्ष जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा मनोनीत वरीय अपर समाहर्ता स्तर के पदा0 होंगे। चयन समिति के सदस्यों को प्रति व्यक्ति की दर से ₹500 / - (पाँच सौ रुपये) मानदेय दिया जाएगा। कृतियों का मूल्यांकन-कार्य 100 (एक

सौ) पूर्णांक मानकर जिला पदाधिकारी की देख-रेख में केन्द्रीकृत रूप से सम्पन्न होगा। प्राप्तांक के आधार पर दोनों विधाओं में पन्द्रह विजेताओं का चयन किया जायेगा।

2. जिला स्तर पर वाद-विवाद प्रतियोगिता पुरस्कार

(क) पुरस्कार की संख्या एवं राशि :-

- | | |
|----------------------|---|
| 1. प्रथम पुरस्कार | ₹5,000/- (पाँच हजार पाँच सौ रुपये) |
| 2. द्वितीय पुरस्कार | ₹4,000/- (चार हजार रुपये) |
| 3. तृतीय पुरस्कार | ₹3,000/- (तीन हजार रुपये) |
| 4. सांत्वना पुरस्कार | ₹30,000/- (12x2500)= ₹30,000 (तीस हजार रुपये) |

पुरस्करणीय राशि - ₹42,000/- (बयालीस हजार रुपये)

प्रतियोगी छात्राओं/छात्रों के मार्ग व्यय हेतु राशि ₹7,500 (25x200+25x100)= ₹7,500 (सात हजार पाँच सौ रुपये)

प्रतियोगिता आयोजन हेतु प्रतियोगी छात्राओं/छात्रों

सहित स्टेशनरी आदि के क्रय हेतु निर्धारित राशि ₹2,500/- (दो हजार पाँच सौ रुपये)

प्रतियोगी छात्राओं/छात्र के अल्पाहार हेतु राशि ₹7,500/- (50x150)= ₹7,500 (सात हजार पाँच रुपये)

निर्णायक मंडल को देय मानदेय की राशि ₹1,500/- (500x3)= ₹1,500 (एक हजार पाँच सौ रुपये)

उनके अल्पाहार हेतु राशि ₹450/- (150x3)= ₹450 (चार सौ पचास रुपये)

आयोजन स्थल की साफ-सफाई ₹1,050/- (एक हजार पचास रुपये)

कुल ₹62,500/- (बासठ हजार पाँच सौ रुपये)

प्रस्तुत योजना के लिए भी कुल राशि ₹62,500/- (बासठ हजार पाँच सौ रुपये) निर्धारित है, जिसके अन्तर्गत पन्द्रह मेधावी छात्राओं/छात्रों को पुरस्कृत किया जायेगा। साथ ही प्रतिभागी छात्राओं/छात्रों के मार्ग व्यय हेतु 7,500 (सात हजार पाँच सौ रुपये) अलग से निर्धारित है। प्रतिभागी छात्राओं/छात्रों के मार्ग व्यय के लिए, छात्राओं/छात्र के अल्पाहार के लिए ₹7,500/-, सभी प्रतिभागियों को कागज-कलम देने के लिए ₹2500/-, निर्णायक मंडल का मानदेय एवं अल्पाहार के लिए ₹1,950/- तथा आयोजन स्थल की साफ-सफाई आदि हेतु ₹1050/- निर्धारित किए हैं।

(ख) पुरस्कार चयन की प्रक्रिया:-

जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अपने-अपने जिले के माध्यमिक स्तर के सभी सरकारी विद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र अथवा विज्ञापन द्वारा इस पुरस्कार योजना की जानकारी देंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि वे अपने-अपने विद्यालय के अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को 15 दिसम्बर, 2025 तक सरकार द्वारा निर्धारित विषय पर निबंध प्रतियोगिता में (50 छात्राओं/छात्रों) को भाग लेना सुनिश्चित करेंगे, जो प्रतियोगिता जिला मुख्यालय में एक साथ कराई जाएगी। सभी प्रतिभागी निबंध एवं वाद-विवाद प्रतियोगिता में से किसी एक प्रतियोगिता में ही भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में शहर तथा कस्बाई इलाकों के 25 एवं ग्रामीण क्षेत्र के 25 बच्चे होंगे। शहरी/कस्बाई क्षेत्र के छात्राओं/छात्र को 100 रुपये मार्ग व्यय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के छात्राओं/छात्रों को 200 रुपये मार्ग व्यय दिया जायेगा। सभी प्रतिभागियों को कागज-कलम देने हेतु ₹2500/- (दो हजार पाँच सौ रुपये) निर्धारित है। प्रतियोगिता का आयोजन 15 दिसम्बर, 2025 तक किया जाना है। उनकी उत्तर पुस्तिका जमा कर त्रिस्तरीय समिति द्वारा जाँच कराकर (I, II, III) एवं 12 सांत्वना पुरस्कार सहित कुल 15 पुरस्कारों हेतु चयनित करायेंगे।

पुरस्कार विजेताओं के चयन के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थानीय हिन्दी विद्वानों का एक चयन समिति गठित करेंगे, जिसके सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित न्यूनतम तीन होगी। चयन मंडल के अध्यक्ष जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत पदाधिकारी होंगे। इन्हें ₹500/- (पाँच सौ रुपये) मानदेय दिया जाएगा। कृतियों का मूल्यांकन-कार्य 100 (एक सौ) पूर्णांक मानकर जिला पदाधिकारी की देख-रेख में केन्द्रीकृत रूप से सम्पन्न होगा। प्राप्तांक के आधार पर दोनों विधाओं में पन्द्रह विजेताओं का चयन किया जायेगा।

इस प्रकार दोनों विधाओं में ₹62,500+₹62,500 कुल ₹1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार रुपये) की दर से कुल 38 जिलों में 38x1,25,000=47,50,000/- (सैंतालीस लाख पचास हजार) रुपये व्यय संभावित है।

अतएव इस योजना को कार्य रूप देने में कुल 47,50,000/- (सैंतालीस लाख पचास हजार) रुपये व्यय होंगे।

सभी प्रतिभागी निबंध एवं वाद-विवाद प्रतियोगिता में से किसी एक प्रतियोगिता में ही भाग ले सकते हैं।

ध्यातव्य:—

उपर्युक्त दोनों विधाओं में चयनित पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कृत करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15 दिसम्बर, 2025 तक अनुसूचित जाति के चयनित छात्र/छात्राओं को पुरस्कार राशि चेक द्वारा उपलब्ध करा देंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पुरस्कार वितरण की सूचना निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा) को निश्चित रूप से भेजी जाएगी। पुरस्कार वितरण 28 दिसम्बर, 2025 तक सभी जिलों में निश्चित रूप से संपन्न हो जाना चाहिए। पुरस्कार राशि वितरण के पश्चात् पुरस्कृत कृतियाँ (नाम एवं पूर्ण पता सहित) निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को अभिलेख के तौर पर भेज दी जायेंगी और उन कृतियों की छाया प्रतियाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे। चयनित रचनाओं को 'राजभाषा' पत्रिका में भी प्रकाशित किया जा सकता है।

(एस0 एम0 परवेज़ आलम)
निदेशक

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा)
बिहार, पटना

३/१०

राज्य की अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ विशेष अंगीभूत योजना वर्ष-2025-26

विज्ञापन

विदित हो कि मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग, बिहार, पटना द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत राज्य की अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ विशेष अंगीभूत योजना संचालित है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिला के माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के मेधावी/चयनित छात्राओं/छात्रों को दो विधाओं में पन्द्रह-पन्द्रह प्रोत्साहन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाना है। अधिक जानकारी के लिए विभागीय Website www.rajbhasha.bihar.gov.in पर मार्गदर्शिका देखी जा सकती है।



(एस0 एम0 परवेज़ आलम)

निदेशक

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा)
बिहार, पटना

